संख्या : 57/2016/958/छप्पन-2016-42/2015

प्रेषक,

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 09 अगस्त, 2016

विषय : राजकीय हेलीकॉप्टर बेल-412 पर 03 अभियन्ताओं को यू0एस0ए0/सिंगापुर में वर्ष 2015 में कराये गये प्रशिक्षण में हुए अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या : 205/ना0उ0नि0/लेखा/2016, दिनांक 30-6-2016 का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2- उल्लेखनीय है कि नये क्रय किये गये हेलीकॉप्टर बेल-412 ई0पी0आई0 पर वर्ष 2015 में श्री राजेश कुमार, श्री बसन्त कुमार द्विवेदी एवं श्री लवप्रीत सिंह को यू0एस0ए0/सिंगापुर में प्रशिक्षण दिया गया था। विदेश यात्रा पर होने वाले व्यय के रूप में शासनादेश संख्या-87/2015/1482(2)/छप्पन-2015-42/2015, दिनांक 02.11.2015 द्वारा रूपये 6,45,639/- के अग्रिम व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई थी। स्वीकृत अग्रिम धनराशि में से श्री राजेश कुमार को रूपये 2,27,000/-, श्री बसन्त कुमार द्विवेदी को रूपये 2,59,905/- एवं श्री लवप्रीत सिंह को रूपये 1,58,659/- अर्थात कुल रूपये 6,45,639/- का अग्रिम भुगतान किया गया है।

3- उक्त भुगतान के पश्चात तीनों अभियन्ताओं द्वारा विदेश यात्रा के देयक यात्रा बिल भुगतान/समायोजन हेतु प्रस्तुत किये गये यात्रा बिलों के परीक्षणोपरान्त श्री राजेश कुमार एवं श्री लवप्रीत सिंह के दिये गये अग्रिम का समायोजन कर लिया गया है। श्री बसन्त कुमार द्विवेदी को दिए गये अग्रिम रूपये 2,59,906/- के सापेक्ष देय यात्रा बिल रूपये 2,67,632/- परीक्षणोपरान्त सही पाया गया तदनुसार अग्रिम के समायोजन के पश्चात रूपये 7,727/- (रूपये सात हजार सात सौ सत्ताईस मात्र) के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति प्रदान की जानी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-87/2015/1482(2)/ छप्पन-2015-42/2015, दिनांक 02.11.2015 द्वारा स्वीकृत अग्रिम धनराशि को समायोजित करते हुए राज्यपाल महोदय अतिरिक्त व्यय की गई धनराशि रूपये 7,727/- (रूपये सात हजार सात सौ सत्ताईस मात्र) की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4- शासनादेश संख्या- 87/2015/1482(2)/छप्पन-2015-42/2015, दिनांक 02.11.2015 में उल्लिखित शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

5- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-38 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(एस0के0 रघुवंशी)
सचिव।

संख्या : 57/2016/958(1)/छप्पन-2016-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठा तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
5- सम्बन्धित अधिकारीगण।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण चन्द्र राय शर्मा)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।